आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत रामु महतो पिता जगरनाथ महतो के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा गोसो, थाना नं0 149 के सर्वे खतियान में खाता सं0 70/16 प्लॉट सं0 396/279 रकबा 1.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमज़ुरूआ खास दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं0 70/16 प्लॉट सं0 396/279 रकबा 1.50 एकड़ भूमि रामु महतो पिता जगरनाथ महतो के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा गोसो थाना नं0 149 खाता सं0 70/16 प्लॉट सं0 396/279 रकबा 1.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत रामु महतो पिता जगरनाथ महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा गोसो थाना नं0 149 खाता सं0 70/16 खेसरा सं0 396/279 रकबा 1.50 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 02/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा। 02/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	